न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना,आई.ए.एस.

अपील संख्या : 9/2013 आर्म्स एक्ट

अनवानी :– मिठूसिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह निवासी 37 जीजी, घुदुवाला तहसील पदमपुर

———— अपीलांट

—— बनाम ——

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर ।

———— रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– श्री चतुर्भज शर्मा सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 21–8–2018

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 15.2.2013 जिसके द्वारा अपीलांट के नाम से जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं0 77/72 डी0एम0 श्रीगंगानगर का नवीनीकरण प्रार्थना पत्र 3 वर्ष से अधिक अवधि के विलम्ब से प्रस्तुत होने एवम् अपीलार्थी के अपराधिक रिकॉर्ड के कारण निरस्त किया गया, के विरुध्द इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट मिठुसिंह पुत्र श्री प्रतापसिंह निवासी 37 जीजी, घुदुवाला तहसील पदमपुर के नाम से शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं0 77/72 डी.एम.श्रीगंगानगर के नाम से जारीशुदा है, जिस पर शस्त्र 405 बोर राइफल नं. 409/72 दर्ज है, जो दिनांक 30.6.05 तक नवीनीकृत है। उक्त लाईसेंस का आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण किये जाने हेतु अपीलांट ने दिनांक 15.9.2008 को कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष आवेदन पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट क्रमांक 1722 दिनांक 28.1.09 में अवगत कराया कि अपीलान्ट मिठूसिंह के विरुध्द पुलिस थाना, पदमपुर में निम्न प्रकरण दर्ज हुए :–

1– मु0नं0 4/89 धारा 451–323 आईपीसी – चालान 6.4.89 राजीनामा 22.1.90

2– मु0नं0 147/90 धारा 25 आर्म्स एक्ट – चालान 7.3.91 दोषमुक्त 28.4.94

3– मु0नं0 197/94 धारा 341–504 आईपीसी – सजा 19.8.04 परिवीक्षा पर छोड़ा

4– मु0नं0 231/94 धारा 25 आर्म्स एक्ट – चालान 24.194 सजा 26.4.96

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

5– मु0नं0 175/02 धारा 430 आईपीसी, 3पीडीपीपी एक्ट– पैंडिंग है ।

आवेदक को आर्म्स एक्ट के प्रकरण में सजा होने एवं उसके सजायाबी एवं अपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं0 77/72 डी.एम श्रीगंगानगर को निरस्त करने की अनुशंषा की गयी । उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवेदक के शस्त्र का सत्यापन किया गया । पुलिस रिपोर्ट को देखते हुए एवं शस्त्र लाइसेंस नवीनीकरण का प्रकरण 3 वर्ष 2 माह 15 दिवस देरी का होने पर जिला मजिस्ट्रट, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 15.2.2013 को अपीलार्थी की व्यक्तिगत सुनवाई की जाकर प्रार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण किये जाने का कोई ठोस कारण प्रतीत नहीं होने से आवेदक का शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं0 77/72 निरस्त कर दिया गया । जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के उक्त आदेश दिनांक 15.2.13 से व्यथित हाकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है ।

3. उक्त अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय द्वारा अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया । वरवक्त बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट इन्द्रसिंह एवं अपीलार्थी स्वयम् अनुपस्थित रहे हैं। अतः राज्य पक्ष की ओर से विद्वान सहायक लोक अभियोग की बहस सुनी गयी ।

4. अपीलार्थी मिठूसिंह ने अपील में मुख्य रुप से यह आधार लिया है कि अपीलार्थी के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष शस्त्र लाइसेंस नवीनीकरण हेतु आवेदन करने पर पुलिस रिपोर्ट प्राप्त की गयी है, जिसमें अपीलार्थी के विरुध्द 5 फौजदारी प्रकरण दर्ज होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई । जिस पर अपीलार्थी को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया, जिसका जवाब प्रस्तुत किया गया था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उस पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त योग्य है । अपीलार्थी को उसके विरुध्द दर्ज हुए किसी भी मामले में दण्डित नहीं किया गया है । अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालाय में नवीनीकरण करवाने हेतु आवेदन करने में विलम्ब का कारण स्वयं का बीमार होना बताया था, किन्तु जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा बिना पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान किये, अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलार्थी का शस्त्र लाइसेंस निरस्त किया गया है । अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.2.13 निरस्त फरमाया जावे ।

5. राज्य पक्ष की ओर से विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने अपनी बहस में बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगांनगर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट क्रमांक 1722 दिनांक 18.1.09 में अवगत कराया कि अपीलान्ट के विरुध्द पुलिस थाना, पदमपुर में मु0नं0 4/89 धारा 451–323 आईपीसी, मु0नं0 147/90 धारा 25 आर्म्स एक्ट, मु0नं0 197/94 धारा 341–504 आईपीसी, मु0नं0 231/94 धारा 25 आर्म्स एक्ट, मु0नं0 175/02 धारा 430 आईपीसी एवं 3पीडीपीपी एक्ट के अन्तर्गत 5 पांच मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिनमें आवेदक को आर्म्स एक्ट के प्रकरण सं0 231/94 में

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

सजा हुई है । इसके सजायाबी एवं अपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए शस्त्र अनुज्ञा पत्र कैंसिल करने की अनुशंषा की जाती है । जिला पुलिस अधीक्षक की उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर अपीलार्थी की व्यक्तिगत सुनवाई की गयी है । अपीलान्ट द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण प्रार्थना पत्र 3 वर्ष 2 माह 15 दिवस देरी से प्रस्तुत किया जाने एवं पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट अनुसार अपालार्थी के अपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.2.13 पारित किया जाकर अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे ।

6. हमने राज्य पक्ष के विद्वान सहायक लोक अभियोजक की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.2.2013 के विरुध्द इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है । प्रकरण में प्रार्थी अपीलान्ट का शस्त्र अनुंज्ञा पत्र 77/72 डी.एम.श्रीगंगानगर के नाम से जारीशुदा है, जिस पर शस्त्र 405 बोर राइफल नं. 409/72 दर्ज है, जो दिनांक 30.6.05 तक नवीनीकृत है। उक्त लाईसेंस का आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण किये जाने हेतु अपीलांट ने दिनांक 15.9.2008 को कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष आवेदन पत्र मय शपथ पत्र 3 वर्ष 2 माह 15 दिवस देरी से प्रस्तुत किया, जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट क्रमांक 1722 दिनांक 28.1.09 के अनुसार अपीलान्ट के विरुध्द 5 मुकदमे पुलिस थाना पदमपुर में दर्ज होकर न्यायालय में चालान पेश किये गये हैं, जिसमें मुदकाम सं0 231/94 धारा 25 आर्म्स एक्ट के प्रकरण में सजा हुई है । प्रकरण में अपीलार्थी के सजायाब होने एवं अपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए तथा शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र 3 वर्ष 2 माह एवं 15 दिवस देरी से प्रस्तुत किये जाने के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानागर द्वारा अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं0 77/72 निरस्त किया गया है । शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण के सम्बन्ध में राज्य राज्य सरकार के गृह ग्रुप–9 विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा प्रेषित किये गये मार्गदर्शन पत्र क्रमांक प.1(13) ग्रह–9/2006 पार्ट दिनांक 24.6.11 के अनुसार 3 वर्ष के शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त समझा जावे । जबकि इस प्रकरण में प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा 3 वर्ष 2 माह 15 दिवस की देरी से शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है । अपीलार्थी के विरुध्द भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत मुकदमे दर्ज हुए हैं तथा आर्म्स एक्ट प्रकरण में सजा हुई है । ऐसे व्यक्ति के पास हथियार रहने से लोक शान्ति को खतरा उत्पन्न हो सकता है ।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

7. उपरोक्त विवेचना अनुसार जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानागर द्वारा प्रार्थी अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं0 77/72 डी.एम.श्रीगंगानगर उचित ही निरस्त किया गया है, जिसमें हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते हैं । अतः यह अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.2.2013 यथावत रखा जाता है।

8. तद्अनुसार अपील अपीलान्ट निर्णीत शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे । निर्णय आज दिनांक 21.8.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हनुमान सहाय मीना)
सम्भागीय आयुक्त
बीकानेर